दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
19 08/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **बिरसा देवगम, पिता/पति– स्व० गेड़े देवगम, ग्राम–कमारहातु, थाना–मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने **मौजा–कमारहातु, थाना नं०–640, खाता नं०–58, प्लॉट नं०–435, रकवा– 0.05 एकड़** भूमि क्रेता **बज्र किशोर देवगम, पिता/पति–सोना राम देवगम, ग्राम–बरान्डेया,** थाना–**मुफ्फसिल,** जिला **प० सिंहभूम** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से हालसर्वे खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–594, दिनांक 17.08. 2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **बज्र किशोर देवगम,** पिता/पति–**सोना राम देवगम,** ग्राम–**बरान्डेया,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल थाना** के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **बिरसा देवगम,** पिता/पति– **स्व० गेड़े देवगम,** ग्राम–**कमारहातु,** थाना–**मुफ्फसिल,** जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता **बज्र किशोर देवगम,** पिता/पति–**सोना राम देवगम,** ग्राम–**बरान्डेया,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला **पं० सिंहभूम** के पास 80,000.00 (अस्सी हजार) **रूपया में मौजा– कमारहातु, थाना नं०–640, खाता नं०–58, प्लॉट नं०–435, रकवा– 0.05 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 19/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 19/08/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा	

Scanned with CamScanner